

सरकार बनाम छितर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 रकबा 61.84 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 1.25 है0 पर छितर पुत्र जममल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । कोई जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल छितर पुत्र जममल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा द्वारा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455/61.84 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 1.25 है0 पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः छितर पुत्र जममल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455/61.84 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 1.25 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2.50का पचास गुणा 125 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

दिनांक 17-09-17 के शा. ल. 4
राजस्व लेखा 92 पर 1.25 रु
कोटपूतली जिले में दिये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली